



IN THE COURT OF
Adj F.T.C.II (For trying cases of crime against women)
AT ,Varanasi
(Presided Over by Sunil Kumar -III)
Sessions Case/201/2020

राज्य बनाम शिवशंकर सेठ वगैरह
निस्तारण प्रार्थनापत्र 30 ख बाबत वारन्ट रिकाल

दिनांक-07.01.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त भी उपस्थित। अभियुक्त की ओर से उसके विरुद्ध जारी गैर जमानतीय वारन्ट आदेश को वापस लिये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी/अभियुक्त बृजेश सेठ की तरफ से सत्र परीक्षण सं.-201/2020 राज्य बनाम शिवशंकर सेठ वगैरह में जारी एन.बी.डब्लू निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांकित-07.01.2025 प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र में आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बीमार होने के कारण प्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, जिसके कारण गैर जमानतीय अधिपत्र जारी कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त का गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किया जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त बृजेश सेठ को तिथि की सही जानकारी न होने के कारण नियत तिथि दिनांक-07.12.2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ सका, जिस कारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध उक्त गैर जमानतीय अधिपत्र जारी कर दिया गया। अभियुक्त हाजिर अदालत है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। दो तिथि का वारन्ट है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 30ख दिनांकित-07.01.2025 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त **बृजेश सेठ** के विरुद्ध जारी गैर जमानतीय अधिपत्र अभियुक्त द्वारा मु.-10,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं इस आशय का अन्डरटेकिंग दाखिल किये जाने पर कि वह प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित आयेगा एवं मुकदमे के निस्तारण में सहयोग प्रदान करेगा, न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय वारन्ट निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य पी०डब्लू-1 दिनांक-16.01.2025 को पेश हो।

(सुनील कुमार III),

दिनांक-07.01.2025

अपर सत्र न्यायाधीश/

फास्ट ट्रैक कोर्ट सं.-2,वाराणसी।

जे.ओ.कोड यूपी.1826